समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला निर्वाचन शाखा)

ज्ञापांक– 05 (मु0)/निर्वा0, दिनांक–05.03.2014

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज एवं हथुआ।

विषय – दं0प्र0सं0 की धारा–144 लागू करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन, 2014 के लिए तिथियों की घोषणा हेतु Press Note No. ECI/PN/10/2014 दिनांक 05.03.2014 जारी कर दी गयी है, जिसके साथ ही आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। अतः निर्वाचन कार्यों को शांतिपूर्ण एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदेशों एवं प्रावधानों के अनुरूप चुनाव सम्पन्न कराने हेतु अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत दं0प्र0सं0 की धारा–144 लागू करें। जिसमें निम्न बातें निश्चित रूप से उल्लेखित रहे :–

1. किसी भी स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के किसी सभा अभवा बैठक हेतु एकत्रित नहीं होंगे,
2. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे, जबतक कि सक्षम प्राधिकार द्वारा अन्यथा आदेश प्राप्त न हो। यह सरकारी कर्त्तव्य पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा,
3. कोई भी व्यक्ति या समूह बिना सक्षम अनुमति के जुलूस/रैली नहीं निकालेंगे तथा किसी भी प्रकार का धरना–प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा,
4. कोई व्यक्ति अथवा दल बिना सक्षम अनुमति के लाउस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे,
5. सभी संबंधित व्यक्ति/संगठन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता में निरूपित प्रावधानों का उल्लंधन नहीं करेंगे।

(कृष्ण मोहन) 5.3.2014
जिला निवचिन पदाधिकारी–सह–
जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज।

ज्ञापांक– 05 (मु0) /निर्वाचन, गोपालगंज, दिनांक–05.03.2014

प्रतिलिपि– अध्यक्ष/सचिव, सभी राजनीतिक दल जिला गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्त प्रकिया चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, गोपालगंज को प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे बेवसाईट पर अपलोड कर दें एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को मेल कर दें।

(कृष्ण मोहन)
जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज।